

नं०- 119 / 2022

तारीखरजू- 23.9.22

उन्वान:- जसराम बनाम पृथ्वी

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

दिनांक

फर्द अहकाम

23/9/22

प्रार्थी की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थी वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस सुनकर अप्रार्थीगण का सर्वप्रथम जबाब प्रस्तुत कराया जाना उचित पाता हूँ प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 30.09.2022 को पेश हो।

5419-26
23/9/22

(दुर्गा प्रसाद मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

30.9/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी नं० 1, 2, 3, 6 की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा एडव ने वकालतनामा पेश किया। जो शामिल पत्रावली रहे। शेष अप्रार्थी नं० 4, 5, 7, 8 के नोटिस द्रष्टम तामील होकर प्राप्त हुए हैं। पुनः सही पत्र पर नोटिस पेश करने के लिए प्रार्थी वकील को डिजायत डी गई वास्ते तलबी एवं जबाब पेश करने दिनांक 7.10.22 को पेश हो।

21

21

21

7.10/22

पत्रावली पेश हुई। वकील उमय पञ्जकारान उपस्थित। शेष अप्रार्थी नं० 4, 5, 7, 8 के पुनः नोटिस पेश करने के लिए प्रार्थी वकील को डिजायत डी गई एवं अप्रार्थी नं० 1, 2, 3, 6 की ओर से जबाब पेश करने के लिए अप्रार्थी वकील को समझ डिया गया। वास्ते तलबी एवं जबाब पेश करने दिनांक 21.10.22 को पेश हो।



यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला-करौली

फर्द अहकाम

पनावली पेरा हुई। वकील उग्रपक्षकारण 390 1
प्राणी वकील को अग्रणी न० ५, ६, ७, ८ के पुनः नोटिस
सही फते पर पेरा करने के लिए प्राणी वकील को
हिजाफल दी गई। वास्ते तलबी दिनांक 14.8.24 को
पेरा हो।

उप

8/24 पनावली पेरा हुई। उग्रपक्ष वकील उपस्थित
सायल वकील को अग्र. न० ५, ६, ७, ८ के नोटिस
पुनः पेरा करने की हिजाफल दी गई। पनावली वास्ते
तलबी दिनांक 20/8/24 को पेरा हो।

उप

पुनः

डी

ए

8/24 पनावली पेरा हुई। उग्रपक्ष वकील उपस्थित
सायल वकील ने प्रार्थना पत्र पेरा किया कि एन
इस प्रार्थना पत्र को ज्ञाने नहीं चलाना चाहते हैं।
क्योंकि Advy हिजाफल करी। द्वारा निर्णय दिनांक
14/8/24 से रिकार्ड व नोटिस की प्रमाणीति कायम
रखने का स्पष्टान जारी कर दिया है। इतलिए एन
प्रार्थनापत्र को नोट प्रेस खारीज कर दिया जावे।

सायल वकील द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र व Advy.
हिजाफल का निर्णय दिनांक 14/8/24 का अवलोकन
किया बाद अवलोकन सामवाग का प्रार्थना पत्र
अग्रपक्ष सिबेचलता नोट प्रेस खारीज किया जाता
है। निर्णय आज दिनांक 20/8/24 को खुले-यायालय
में सुनाया गया।

पनावली फिजल शुणाट नम्बर से कागदों के
दाखिल दफ्तर हो।

(5)